(भारत सरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेल मंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD

RBA No. 64 /2020
GST Circular No. 36 /2020

No. 2018/AC-II/1/57

17th August, 2020

General Managers,
Zonal Railways/Production Units

Sub :- EBR-IF Financing-Accountal Issues.

Ref:- (1) Board's letter dated 20th April, 2020 (RBA No. 41/2020).
(2) Board's Circular dated 24th March, 2020 (GST Circular No. 18/2020).
(3) Board's letter dated 1st April, 2020 (RBA No. 36/2020)
(4) Board's letter dated 7th August, 2020 (RBA No. 62/2020)

Railway Board vide letters *ibid had inter-alia* brought out instructions with respect to revised model for EBR-IF funded projects and accounting procedure thereof. One such instruction relates to remitting of tax deducted (against payments to suppliers) amounts to IRFC vis-à-vis submission of detailed statement. However, while analysing this data generated from IPAS and shared by Zonal Railways with IRFC, it has been observed that with respect to certain invoices, **pertaining to period prior to May'20**, TDS (both Income Tax & GST) has been deducted by Zonal Railways under TAN/GSTIN of IRFC **while the invoices mention GSTIN of Indian Railways.** This would result in the vendor invoice particulars getting reflected in the GSTR-2A of Indian Railways and not IRFC.

It may be recalled that consequent to implementation of revised model for EBR-IF funded projects, Novation agreements were entered on 1st May, 2020 to introduce IRFC as the party to contract with suppliers. As a result, only for invoices issued by suppliers dated post 1st May, 2020, IRFC details including GSTIN should have been indicated and supplies therein effectuated. Accordingly, IPAS has been validated to accept vendor Invoices dated 1.5.2020 onwards, as and when allocation of EBR-IF is fed while processing such payments in the system.

In respect to TDS, against payments to suppliers for invoices dated prior to May'20, already deducted under IRFC's GSTIN, IRFC has returned the data to IR with a request that the tax remittances should be done by IR itself. Following actions needs to be taken by Zonal Railways in this regard with respect to these transactions:-

a) CRIS will prepare a report on the basis of data returned by IRFC and place it in IPAS. This shall be considered by Principal Railway for making payments in respect of

GST-TDS by the concerned Principal Railway and IT-TDS by the concerned accounting unit of Zonal Railways. For GST-TDS, CRIS shall generate Json file as per laid down protocol.

b) Concerned Principal Railway shall file the GST-TDS Return and Zonal Railway's accounting unit shall file concerned IT-TDS returns.

c) The amount remitted to IRFC on this account shall be recovered back by the concerned Zonal Railway by adjusting the same from future remittances to IRFC.

This issues with the approval of competent authority.

(V.Prakash)
Joint Director/Accounts
Railway Board

Copy for information and necessary action to:-

1. All EDs, ED level empowered Committee, Railway Board
2. All Directors, Director level GST Cell, Railway Board
3. PFAs, All Zonal Railways and Production Units
4. MD/IRFC
5. GM/Finance/GSTM, GM/AIMS, CRIS

(भारत सरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेल मंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD

आरबीए सं. 64 /2020
जीएसटी परिपत्र सं. 36 /2020

सं. 2018/एसीII/1/57 17 अगस्त, 2020

महाप्रबंधक,
क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय:- ईबीआर-आईएफ वित्तपोषण- लेखा-जोखा मामले।

संदर्भ:- (1) बोर्ड का दिनांक 20 अप्रैल, 2020 का पत्र (आरबीए सं. 41/2020).
(2) बोर्ड का दिनांक 24 मार्च, 2020 का परिपत्र (जीएसटी परिपत्र सं. 18/2020).
(3) बोर्ड का दिनांक 1 अप्रैल, 2020 का पत्र (आरबीए सं. 36/2020)
(4) बोर्ड का दिनांक 7 अगस्त, 2020 का पत्र (आरबीए सं. 62/2020)

रेलवे बोर्ड ने अपने पूर्वोक्त पत्रों के तहत अन्य बातों के साथ-साथ ईबीआर-आईएफ वित्तपोषित परियोजनाओं और उससे संबंधित लेखाकरण पद्धति के लिए संशोधित मॉडल के संबंध में अनुदेश जारी किए थे। इस प्रकार का ऐसा एक अनुदेश आईआरएफसी द्वारा विस्तृत विवरण प्रस्तुत किए जाने की तुलना में उसे कर में कटौती की छूट दिए जाने से संबंधित है। हालांकि, आईपीएएस से जनरेट किए गए और क्षेत्रीय रेलों द्वारा आईआरएफसी के साथ साझा किए गए डाटा का विश्लेषण करते समय यह देखा गया है कि मई, 2020 से पूर्व की अवधि से संबंधित कतिपय बीजकों के संबंध में क्षेत्रीय रेलों द्वारा आईआरएफसी के टीएएन/जीएसटीआईएन के अंतर्गत टीडीएस काटा गया है, जबकि बीजकों में भारतीय रेल के जीएसटीआईएन का उल्लेख किया गया है। जिसके फलस्वरूप वेंडर का बीजक विवरण भारतीय रेल के जीएसटीआर-2ए में प्रदर्शित होगा, न की आईआरएफसी में।

गौरतलब है कि ईबीआर-आईएफ वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए संशोधित मॉडल के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, आपूर्तिकर्ताओं को संविदा देने के लिए आईआरएफसी का पार्टी के रूप परिचय कराने के लिए 1 मई, 2020 को नवीनता करार किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप, आपूर्तिकर्ता द्वारा केवल 1 मई, 2020 के बाद जारी बीजकों के लिए जीएसटीआईएन सहित आईआरएफसी के विवरण प्रदर्शित किए जाने चाहिए और उसमें आपूर्तियां की जानी चाहिएं। तदनुसार, प्रणाली में ऐसे भुगतानों को करते समय जब कभी ईबीआर-आईएफ का आबंटन किया जाता है तो 1.5.2020 के बाद वेंडर के बीजकों को स्वीकार करने के लिए आईपीएएस को मान्य किया गया है।

मई, 2020 से पूर्व के बीजकों के लिए आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान हेतु आईआरएफसी के जीएसटीआईएन के अंतर्गत पहले से ही काटे गए टीडीएस के संबंध में, आईआरएफसी ने इस अनुरोध के साथ कि कर का प्रेषण भारतीय रेल द्वारा स्वयं किया जाना चाहिए, डाटा भारतीय रेल को वापस दे दिया है। इन लेन-देनों के संबंध में क्षेत्रीय रेलों द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है:-

(क) क्रिस, आईआरएफसी द्वारा वापस किए गए डाटा के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा और इसे आईपीएएस में रखेगा। संबंधित प्रधान रेल द्वारा जीएसटी-टीडीएस के संबंध में भुगतान करने के लिए प्रधान रेलवे और आईटी-टीडीएस के लिए क्षेत्रीय रेलों की संबंधित लेखा इकाई द्वारा विचार किया जाएगा। जीएसटी-टीडीएस के लिए, क्रिस निर्धारित न्याचार के अनुसार जेएसओएन फाइल जनरेट करेगा।

(ख) संबंधित प्रधान रेलवे जीएसटी-टीडीएस रिटर्न फाइल करेगी और क्षेत्रीय रेलवे की लेखा इकाई संबंधित आईटी-टीडीएस रिटर्न फाइल करेगी।

(ग) इस लेखे से आईआरएफसी को प्रेषित राशि आईआरएफसी के भावी प्रेषणों से समायोजित करके संबंधित क्षेत्रीय रेल द्वारा वापस वसूल की जाएगी।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(वी. प्रकाश)
संयुक्त निदेशक/लेखा
रेलवे बोर्ड

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. सभी कार्यपालक निदेशक, कार्यपालक निदेशक स्तर की सशक्त समिति, रेलवे बोर्ड
2. सभी निदेशक, निदेशक स्तर जीएसटी सेल, रेलवे बोर्ड
3. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां
4. प्रबंध निदेशक/आईआरएफसी
5. महाप्रबंधक/वित्त/जीएसटीएम, महाप्रबंधक/एआईएमएस, क्रिस